राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 ( ) वितरण/ले.ची./2018/ 134 दिनांकः–09.02.2018

–:: उप आवंटन आदेश ::–

राजस्थान राज्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पत्र क्रमांक–आरएसएफसीएससी/चीनी/आवंटन/2017–18/18393 दिनांक 21.11.2017 द्वारा बाँसवाड़ा जिले को माह अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 (09 माह) के लिये प्रतिमाह 665 क्विं. एवं 2849 क्विं. पूरक आवंटन, कुल 8834 क्विंटल चीनी का आवंटन प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के नाम जारी किया गया है। उक्त चीनी प्राप्त हो गई है। जिले की थोक संस्थाओं के पास 457 क्विं. चीनी पूर्व की अवशेष थी। माह जनवरी 2018 में जिले के अन्त्योदय कार्डधारी परिवारों को 01 किलो प्रति माह से तीन माह (अप्रैल, मई, जुन 2017) के लिये कुल 03 किलो चीनी प्रति राशनकार्ड पर 24.50 रू. प्रति किलो की दर से वितरण किये जाने हेतु 1864.14 क्विंटल चीनी का उप–आवंटन आदेश जारी किया गया था। महाप्रबन्धक (वित्त) राजस्थान राज्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पत्र क्रमांक–आरएसएफसीएससी/चीनी/आवंटन/2017–18/23389–427 दिनांक 06.02.2018 द्वारा द्वितीय त्रैमास (जुलाई 2017 से सितम्बर 2017) की चीनी वितरण हेतु उप–आवंटन जारी करने के निर्देश दिये गये है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12 (1)खा.वि./चीनी/2015 जयपुर दिनांक 22.12.2017 द्वारा केवल **अन्त्योदय कार्डधारी परिवारों को** चीनी वितरण के लिये पात्र माना गया है। अतः **माह फरवरी 2018** के उपभोक्ता सप्ताह में **अन्त्योदय कार्डधारी परिवारों को 01 किलो प्रति माह से तीन माह (जुलाई 2017 से सितम्बर 2017) के लिये कुल 03 किलो चीनी प्रति राशनकार्ड पर 24.50 रू. प्रति किलो की दर से** वितरण किये जाने हेतु चीनी का तहसीलवार उपावंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है :–

(मात्रा क्विं में)

नाम थोक विक्रेता	तहसील	पंचायत समिति	अन्त्योदय		आवंटित चीनी की मात्रा
			कार्ड	यूनिट	
1	2	3	4	5	6
राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	कुशलगढ	कुशलगढ	3690	18201	12250
		न.पा. कुशलगढ	676	2634	2100
	सज्जनगढ	सज्जनगढ	5029	24380	16550
	आनन्दपुरी	आनन्दपुरी	5399	23630	17600
	बागीदौरा	बागीदौरा	3494	15269	11550
	गांगडतलाई	गांगडतलाई	3067	15086	10100
	बांसवाडा	न.प. बांसवाडा	2956	12305	9950
		बांसवाडा ग्रामीण/आबापुरा	3525	15133	12000
		तलवाडा	2428	10870	8200
	छोटीसरवन	छोटी सरवन	3162	13367	10300
	गढी	गढी	3726	15864	13200
		[illegible]	2063	9058	7250
	घाटोल	[illegible]	7818	34385	25850
		महायोग	**47033**	**210182**	**156900**

नोटः– थोक संस्थाओ के पास पूर्व की अवशेष चीनी प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति को हस्तान्तरित की जावेगी। पूर्व में क्रय विक्रय सहकारी समिति बांसवाडा के पास 256.50 क्विं चीनी, राजस संघ बांसवाडा के पास 110 क्विं चीनी, क्रय विक्रय सहकारी समिति गढी के पास 90.50 क्विं चीनी अवशेष है।

चीनी के वितरण के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावें :–

1. चीनी का वितरण केवल अन्त्योदय कार्डधारी परिवारो को ही किया जायेगा। अन्य श्रेणी के उपभोक्ता चीनी हेतु पात्र नही है।
2. माह जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 की चीनी 01 किलो प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड से कुल 03 किलो फरवरी 2018 के उपभोक्ता सप्ताह में वितरण की जायेगी। जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा माह जनवरी में 03 किलों चीनी का वितरण नही किया गया है, उनके द्वारा प्रति राशनकार्ड 06 किलों चीनी का वितरण किया जायेगा।
3. चीनी का वितरण 24.50 रू प्रति किलो की दर से किया जायेगा।
4. उचित मूल्य दूकानवार आवंटित चीनी की सूची पृथक से उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सूची के अनुरूप मात्रा में चीनी उचित मूल्य दुकानदारो को प्रति क्विंटल **2450–(23.87 खुदरा कमीशन)=2426.13 रू.** की दर से उपलब्ध करवाई जायेगी। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा आवंटित मात्रा की राशि प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति के बैंक खाते में जमा करवाई जायेगी।
5. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति राशि जमा हो जाने के सत्यापन के पश्चात् उचित मूल्य दूकानदारों को चीनी जारी करेंगे। **इस संबंध में वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर कें कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 40(2) खा. ले/नीति/शुगर/2015–16, जयपुर दिनांक 26.08.2016 एवं उपायुक्त एवं उपशासन सचिव के आदेश क्रमांक एफ 12(1)खा. वि/चीनी/2015 जयपुर दिनांक 30.09.2016 के अनुसार थोक विक्रेता उचित मूल्य दुकान तक चीनी की डौर स्टेप डिलेवरी अनुबंधित परिवहनकर्ता के माध्यम से करना सुनिश्चित करेगे।**
6. वितरण के बाद अवशेष चीनी थोक विक्रेता एवं उचित मूल्य दुकानदार स्टॉक में रखेंगे।
7. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति डीलर को आपूर्ति की गई चीनी की परिवहन राशि के पुनर्भरण हेतु सूचना निर्धारित प्रारूप में चीनी अनुभाग निगम मुख्यालय को प्रस्तुत करेगे, ताकि निगम परिवहन की राशि को संस्था के खाते में जमा कर सके।
8. इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः पालना की जावेगी।
9. निर्धारित तिथि तक उचित मूल्य दूकानदार थोक विक्रेता से चीनी प्राप्त कर अन्त्योदय कार्डधारी उपभोक्ताओं को माह **फरवरी, 2018** के उपभोक्ता सप्ताह में **नये डीजिटल अन्त्योदय राशनकार्डो** पर **प्रति राशनकार्ड 03 किलो चीनी 24.50 रू. प्रतिकिलो** की दर से **POS मशीन के माध्यम** से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर वितरण करेंगे। जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा **माह जनवरी में 03 किलों चीनी का वितरण नही किया गया है, उनके द्वारा प्रति राशनकार्ड 06 किलों चीनी** का वितरण किया जायेगा।
10. प्राधिकृत थोक विक्रेता दैनिक/मासिक नक्शा, उठाव एवं वितरण सम्बन्धी उपखण्ड कार्यालय, तहसील एवं जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। प्रवर्तन स्टाफ अपने–अपने क्षेत्र में चीनी उठाव की दैनिक मॉनिटरिंग करेंगे तथा वितरण पर पूर्ण निगरानी रखेंगे।

जिला कलक्टर (रसद),
बाँसवाड़ा

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सांसद महोदय, बांसवाडा– डूंगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाडा।
4. जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, बांसवाडा।
5. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाडा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ।
6. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाडा/तलवाडा/घाटोल/गढी/अरथूना/बागीदौरा/छोटी सरवन/कुशलगढ/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/गांगडतलाई।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
8. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा/ घाटोल/गढी/बागीदौरा/कुशलगढ/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/छोटी सरवन।
9. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में समाचार आईटम के रूप में प्रकाशन हेतु।
10. उपनिदेशक सूचना प्राद्योगिकि एवं संचार विभाग बांसवाड़ा को जिले के वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
11. तहसीलदार, तहसील बाँसवाड़ा /छोटी सरवन/ आम्बापुरा/घाटोल/गनोड़ा/गढी/बागीदौरा /आनन्दपुरी/गांगडतलाई/कुशलगढ/सज्जनगढ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा/तलवाड़ा/गढ़ी/अरथूना/घाटोल/बागीदौरा/आनन्दपुरी /सज्जनगढ़/कुशलगढ/छोटीसरवन/गांगडतलाई
13. प्रर्वतन अधिकारी/निरीक्षक, बांसवाड़ा/घाटोल/गढ़ी/कुशलगढ़/बागीदौरा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
14. प्रबन्धक, राजस्थान राज्य एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाडा।
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस संघ/मुख्य व्यवस्थापक स.उ.थोक मण्डार बांसवाड़ा/क्र.वि.स.स. बांसवाड़ा/परतापुर।
16. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला बांसवाड़ा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक को पालनार्थ ।
17. लेखा, अनुभाग कार्यालय हाजा।

जिला रसद अधिकारी
बांसवाडा